न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

बाईजलास : श्री राधेश्याम मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2013
प्रकरण दायरा दिनांक 12.03.2013

सरकार

बनाम

1. मृतका सूरजकंवर पत्नी नारायणसिंह के का.मु.
   1/1 तेजपालसिंह पुत्र के का.मु.
   1/1/1 अरविंदकंवर पत्नी तेजपालसिंह
   1/1/2 धनेश्वरसिंह पुत्र तेजपालसिंह
   1/1/3 महेश्वरसिंह पुत्र तेजपालसिंह
   1/1/4 श्रीमति दुर्गेश नंदिनी पुत्री तेजपालसिंह
   जातिगण राजपूत निवासी रोहट जिला पाली हाल मेहनसर जिला झूझुनू।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत

उपस्थित :–
1. गैर सायल के का.मु. बाद सूचना मय अधिवक्ता अनुपस्थित
2. पक्षकार अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव, श्री नरपतसिंह एवं श्री विक्रमसिंह उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/12/20

1. अप्रार्थीया की सीलिंग पत्रावली प्रस्तुत हुई।
2. प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी पाली के आदेश दिनांक 25.09.1974 द्वारा अप्रार्थीया के पास धारित भूमि को सीलिंग सीमा से कम मानते हुए प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर दी। तत्पश्चात न्यायालय उपखंड अधिकारी पाली पुन अपने निर्णय दिनांक 04.06.1976 द्वारा अप्रार्थीया के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये। उपखंड अधिकारी के निर्णय की समीक्षा कर माननीय राजस्व सीलिंग विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.7(695)राज/सी/76 जयपुर दिनांक 21.05.1980 द्वारा प्रकरण को रिओपन कर उपखंड अधिकारी के निर्णय को राजहितो के विपरित मानते हुए पुनः निर्धारण करने के आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग को स्थानान्तरित किया गया।
3. तत्पश्चात अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग पाली ने प्रकरण में निर्णय करते हुए अपने निर्णय दिनांक 06.11.1999 द्वारा अप्रार्थीया के पास धारित भूमि को

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली

सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये। उक्त निर्णय से व्यथित होकर गैर सायल द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील का निर्णय माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 29.08.2012 आंशिक स्वीकार करते हुए अतिरिक्त कलक्टर सीलिंग के निर्णय दिनांक 06.11.1999 को अपास्त कर विधिक न्यायिक दृष्टान्तो एव कानूनी प्रावधानो पर विवेचन करने एवं क्रेतागण को पक्षकार बनाकर उनको सुनने के बाद पुन विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश देते हुए प्रतिप्रेषित किया।

4. प्रकरण पुन दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल के कायम मुकामो को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस बाद तामिल कायम मुकाम गैरसायलान अनुपस्थित रहे। पक्षकार क्रेतागण की ओर से जीनीदेवी पत्नी जयरूप एवं सिणगारी देवी पत्नी केराराम की ओर से श्री मदनदास वैष्णव तथा सुगनीदेवी पत्नी खरताराम की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह एवं विक्रमसिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।
5. प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता एवं पक्षकार क्रेतागण के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। अप्रार्थीया के कायम मुकामो के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
6. प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता का कथन यह है कि गैर सायला द्वारा ग्राम रोहट एवं मेहनसर (झुझूनू) में धारित भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है, जो हस्तानान्तरण किये गये है वह सीलिंग कानून से बचने हेतु किये गये है। अत गैर सायला के पास धारित भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी किये जावे।
7. पक्षकार क्रेतागण के अधिवक्तागण प्रकरण में कथन यह है कि पक्षकार द्वारा जो भूमि क्रय की गई है वे गैर सायला के खाते में गलत रूप से जोडी गई है, जबकि प्रकरण में उपलब्ध पत्रावली में उक्त खसरा नंबर नहीं है। अत खसरा नंबर 100/1, 100/1/4, 100/1/5 सीलिंग प्रकरण में प्रभावी नहीं होने से पक्षकार क्रेतागण के खिलाफ चल रही सीलिंग प्रकरण क कार्यवाही समाप्त कर ड्रोप फरमावे, चूंकि सीलिंग प्रकरण में हमारी जो भूमि अधिग्रहण कर सिवायचक दर्ज की गई है उसे पुन हमारे खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे। क्योंकि सीलिंग प्रकरण में हमारे खिलाफ चल रही कार्यवाही ड्रोप योग्य है।
8. हमने राजकीय अधिवक्ता एवं पक्षकार क्रेतागण के अधिवक्ताओ की बहस पर गंभीर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का सूक्ष्म निरीक्षण किया।
9. पटवारी हल्का रोहट के बयान दिनांक 25.09.1999 द्वारा गैर सायल के खसरा नंबर 100 में रकबा 584 बीघा 8 बिस्वा का 1/4 हिस्सा यानि रकबा 140 बीघा 2 बिस्वा जो प्रदर्श 1 है। पटवारी ने अपने बयान में यह

अति. कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

भी कहा कि नामान्तरण संख्या 557 के जरिये रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिग्रहण कर सरकारी खाते में दर्ज की गई।

10. मृतका सूरजकंवर द्वारा दिनांक 01.04.1966 एवं दिनांक 01.01.1973 को ग्राम रोहट जिला पाली एवं ग्राम मेहनसर जिला झूझुनू में संवत 2024 से 2028 तक निम्नासर भूमि धारित करती थी–

क्र.स	नाम ग्राम	खसरा नंबर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म भूमि
1	रोहट पाली	100	146.2	बारानी दोयम
2	मेहनसर(झूझुनू)	169	15.14	बारानी अव्वल
3	मेहनसर(झूझुनू)	174	37.15	बारानी अव्वल
योग			199.11	

गैर सायल द्वारा निम्नानुसार भूमि हस्तानंतरण की गई।

क्र.स	नाम ग्राम	खसरा नंबर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म भूमि
1	सुमेरसिंह वगैरा को मेहनसर (झूझुनू)	169	15.14	बारानी अव्वल अपंजीकृत
2	सांवरा पुत्र गुहारा मेहनसर (झूझुनू)	174	18.19	बारानी अव्वल अपंजीकृत
योग			34.13	

11. उपरोक्त बेचान जमाबंदी 2028 से 2031 में स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त बेचान सीलिंग कानून को विफल करने व सीलिंग कानून से बचने के लिये किये गये है। अत बेचान अमान्य करार दिये जाते है तथा उक्त बेचान को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।
12. गैरसायला द्वारा धारित भूमि 199 बीघा 11 बिस्वा दिनांक 01.04.1966 एवं 01.01.1973 को धारित करती थी उक्त दोनो तिथियो में गैर सायला के परिवार में 5 सदस्य थे जो कि एक यूनिट बनती है। अत नियम 4(1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार भूमि की गणना करने पर
13. पुराने सीलिंग कानून मे कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं रहती है। तथा नये कानून 1973 नियम 15(1) के तहत गणना करने पर गैर सायल के पास दिनांक 01.01.1973 को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि धारित करती थी। परिवार के सदस्य की गणना करने पर गैर सायल दिनांक 01.01.1973 को पांच सदस्य होने से एक यूनिट बनती है अर्थात यानि गैर सायलान नये सीलिंग कानून के तहत 135 बीघा भूमि ही धारण कर

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

सकती हें शेष 64 बीघा 11 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण योग्य बनती है।

14. अत राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के तहत गैर सायल द्वारा एवं उनके परिवार के का.मु. द्वारा धारित भूमि सीलिग सीमा से अधिक होने से रकबा 64 बीघा 11 बिस्वा भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये जाते है।

15. पक्षकार क्रेतागण के अधिवक्ताओ द्वारा अपने बहस मे जो तथ्य जाहिर किये गये है। प्रकरण का रेकर्ड अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान क्रेतागण के द्वारा उनकी भूमि सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। चूंकि खसरा नंबर 100/1, 100/1/4 एवं 100/1/5 सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं होने से पक्षकारान क्रेतागण 01 – सिणगारी देवी, 02–जीमीदेवी, 03–सुगनादेवी के विरूद्ध सीलिंग सीमा में चल रही कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं तहसीलदार रोहट को आदेशित किया जाता है जो भूमि क्रेतागण की अधिग्रहण की गई है उसे पुनः पक्षकारान क्रेतागण के खातेदारी में दर्ज की जावे। चूंकि पूर्व आदेश दिनांक 06.11.1999 के तहत पक्षकार क्रेतागण सिणगारी, जीमी, सुगना की खरीदशुदा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 100/1 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 100/1/4 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 100/1/5 रकबा 30 बीघा जो कि सिवायचक दर्ज किया गया है उसे पुनः क्रेतागणो के खाते में अमलदरामद किया जावे एवं उक्त खसरा नंबरान वजहद कम्पयूटर के तहत नये खसरा नंबर बदल गये है तो कम्पयूटर द्वारा पुराने खसरा नंबर जो नये बने है उसके तहत इन्द्राज किये जावे।

16. तहसीलदार रोहट को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार मेहनसर (झुझून) से समन्वय स्थापित कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करे। गैर सायल के कायम मुकाम से 15 दिवस में विकल्प प्राप्त कर सर्वप्रथम भाररहित भूमि तत्पश्चात हस्तांतरित भूमि आन्तरिक क्रम से अधिग्रहण की कार्यवाही करे। इस कानून के तहत अगर पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहण की गई हो तो उसका समायोजन किया जावे।

17. तहसीलदारान रोहट जिला पाली एवं मेहनसर जिला झुझुनू आदेश की पालना एक माह में करे तथा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत करे।

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/12/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राधेश्याम मीना)
आर.ए.एस
अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)